



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर डकैती कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 05 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्कुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 748/10 धारा-395,397,412 भा0द0सं0 व 2बी(12) डकैती एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.अजीत सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह नि0-मउनरवट थाना सजेती, कानपुर नगर 2.हुलासी पुत्र गरीबा प्रजापति नि0 छोटी बडोखर थाना को0नगर बोंदा 3.रामू तिवारी पुत्र राजाराम नि0-गुगौली थाना चिल्ला बोंदा 4.शिवदेव मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र रामगोपाल नि0-डिघवट थाना चिल्ला बोंदा 5.दीपू दुबे पुत्र नन्हे दुबे नि0 ग्राम बडोखर खुर्द थाना कोतवाली नगर बोंदा को दोष सिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष का कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री सुभाष
कुमार



विवेचक-
एस0एच0ओ0
विवेकानन्द तिवारी



पैरोकार- थाना मुस्कुरा
हे0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार